

नकली शराब व मिथ्याछाप पैकिंग मामले का आरोपित गिरफ्तार

नकली शराब व शराब क्वार्टर की मिथ्याछाप पैकिंग के मामले में गत पांच माह से फरार चल रहे एक आरोपित

Publish Date: | Sun, 23 Jan 2022 06:30 PM (IST)



बड़वानी(नईदुनिया प्रतिनिधि)।

नकली शराब व शराब क्वार्टर की मिथ्याछाप पैकिंग के मामले में गत पांच माह से फरार चल रहे एक आरोपित को सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से शराब के नकली क्वार्टर, मिथ्याछाप लेबल व ढक्कन जब्त किए गए हैं। मामले में दो आरोपित पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं और दो अब भी फरार हैं।

सेंधवा ग्रामीण थाना प्रभारी विकास कपीश ने बताया कि 17 जुलाई 2021 को मुखबीर की सूचना पर आरोपित जगदीश पुत्र भायला निवासी ग्राम बघाड़ के कब्जे से आठ पेटी अंग्रेजी शराब के नकली क्वार्टर जब्त किए गए थे। उस समय एक अन्य आरोपित इलाराम पुत्र नानटा निवासी बघाड़ फरार हो गया था। गिरफ्तार आरोपित जगदीश ने पुछताछ में बताया था कि वह संजय पुत्र दयासिंह निवासी गदड़देव महाराष्ट्र से नकली शराब खरीद का लाया था। 18 जुलाई 2021 को आरोपित संजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुछताछ में संजय ने छतरसिंह पुत्र रेवा निवासी गदड़देव महाराष्ट्र से स्पीट खरीदना व अकरम पुत्र सली निवासी राजपुर से नकली क्वार्टर बाटल, ढक्कन व लेवल खरीदना बताया गया। वहीं कार्रवाई में जब्त बाइक के मालिक रासु उर्फ रूस पुत्र नवला निवासी बघाड़ को मुख्य आरोपित बनाया गया था। इसके बाद से आरोपित अकरम, ईलाराम व रासु फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी पर एसपी ने इनाम की घोषणा की थी।

जुलवानिया से पकड़ाया आरोपित

उक्त मामले में शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपित अकरम पुत्र सलीम जुलवानिया एबी रोड़ पर खड़ा है। इस पर टीम ने मौके पर पहुंच घेराबंदी कर आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित को न्यायालय पेश किया गया, जहां से दो दिन की पुलिस रिमांड मिली है। कार्रवाई में सेंधवा ग्रामीण थाना प्रभारी विकास कपीश सहित एसआई सीताराम भटनागर, दीपक ठाकुर व प्रधान आरक्षक बलिराम मंडलोई शामिल रहे। एसपी दीपक शुक्ला ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/barwani-accused-arrested-in-fake-liquor-and-false-packing-case-7257606>